रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1223] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2013/ज्येष्ठ 7, 1935
No. 1223] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2013/JYAISTHA 7, 1935

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 मई, 2013

का.आ.1378 (अ.)- नाशक कीट व नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रयोग प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और अधिक संशोधन हेतु निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:–

1. लघु शीर्षक व प्रारंभ- (1) इस आदेश को पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन द्वितीय संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. vi अनुसूची का संशोधन- पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची vi में।

(i) कोष्ठक (3) में गारसिनिया मैंगोस्टाना (मैंगोस्टीन) से संबंधित क्रम संख्या 150 के सम्मुख विद्यमान प्रविष्टियों को मद (i) व (ii) के रूप में संख्यायित किया जाए और मद (i) के सम्मुख जिन्हें इस प्रकार संख्यायित किया गया है, कोष्ठक (4) में विद्यमान प्रविष्टि को (i) के रूप में संख्यायित किया जाए और इस प्रकार संख्यायित (i) के बाद और कोष्ठक (5) व (6) से संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद व प्रविष्टियां शामिल की जाएं, अर्थात:-

(4)	(5)	(6)
(ii) श्रीलंका	शून्य	शून्य

(ii) कोष्ठक (3) में जुगलान्स एसपीपी (अखरोट) से संबंधित क्रम संख्या 184 के सम्मुख विद्यमान प्रविष्टि को मद (i) के रूप में पुन: संख्यायित किया जाएगा और मद (i) के बाद जिसे इस प्रकार से संख्यायित किया गया है और कोष्ठक (4), (5) व (6) से संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख, निम्नलिखित मद व प्रविष्टियों को क्रमश: शामिल किया जाएगा, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)	(6)
उपभोग के लिए सूखे मेवे (छिलका सहित व छिलका रहित)	यूएसए	निम्नलिखित से मुक्त: (क) एक्रोबेसिस नक्सवोरेला (पीकैन नट केसबीयरर) (ख) एमीलोइस ट्रांजिटैला (नैवल ओरेंज वॉर्म) (ग) कूरकूलियो केरीये (पीकेन वीवल) (घ) सीडिया कैरयाना (हिकरी शकवॉर्म) (ङ) ब्रैनीरिया रबरी पेशियनस (अखरोट की डीप बार्क कैंकर) (च) ब्रैनीरिया नाइजरीफ्लूएंस (शैलो बार्क कैंकर)	एनएपी के तहत 21 डिग्री सें. व उससे अधिक 16 ग्राम/सीयू. एम की दर पर 24 घंटे के लिए मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन और उपचार को पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र या अन्य किसी धूमक इस उद्देश्य के लिए पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित तरीके से पदार्थ पर पृष्ठांकित किया जाएगा।

(iii) कोष्ठक (3) में नैफेलियम लैपैकम (रामबूटन) के संबंध में क्रम संख्या 229 के सम्मुख विद्यमान प्रविष्टियों को मद (i) व (ii) के रूप में संख्यायित किया जाएगा और इस प्रकार से संख्यायित मद (i) के सम्मुख कोष्ठक (4) में विद्यमान प्रविष्टि को मद (i) के रूप में संख्यायित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यायित मद (i) के बाद कोष्ठक (5) व (6) से संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख निम्नलिखित मद व प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, अर्थात्:

(4)	(5)	(6)
(ii) श्रीलंका	निम्नलिखित से मुक्त: (क) सूडो कोकस जैकबीयर्डशले (जैक बीयर्डशले मीलेबग)	साढे तीन घंटे के लिए 21 डिग्री सें. या उससे अधिक या समतुल्य के लिए 32 ग्राम/क्यूबिक मीटर की दर पर एमबीआर धूमन। उपचार मूल देश/पुन: निर्यात के देश पर जारी किए गए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाए।

(iv) कोष्ठक (3) में हाइलोसीरियस अनडेटस (ड्रैगन फल) के संबंध में क्रम संख्या 418 के सम्मुख, कोष्ठक (4) में मद (ii) उपभोग के लिए ताजे फल के संबंध में प्रविष्टि (i) के सम्मुख और कोष्ठक (5) व (6) में संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख निम्नलिखित मद व प्रविष्टियों को क्रमश: शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

(4)	(5)	(6)
(iii) वियतनाम	शून्य	शून्य

(v) कोष्ठक (3) में " परशिया अमेरिकाना (एवोकैडों) से संबंधित क्रम संख्या 564 के सम्मुख, मद (i) के बाद कोष्ठक (4) में उपभोग के लिए ताजे फल के संबंध में प्रविष्टि (ii) के सम्मुख और कोष्ठक (5) व (6) में संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख निम्नलिखित मद व प्रविष्टियों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

(4)	(5)	(6)
(ii) पेरु	निम्नलिखित से मुक्त: (क) एनेस्ट्रेफा सरपैन्टिना (सेपोडिला फ्रूट फ्लाई) (ख) स्टेनौमा कैटनाइफर (एवोकैडो मोथ) (ग) एवोकैडो सनब्लोच वायरोयड (एवोकैडो सन ब्लॉच)	अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एनस्ट्रेफा सरपैन्टिना (सैपोडिला फ्रूट फ्लाई) के लिए नाशक जीव मुक्त स्थिति या एनस्ट्रैफा फ्रैटरक्यूलस (दक्षिण अमेरिकी फ्रूट फ्लाई), एनस्ट्रैफा सरपैन्टिना (सैपोडिला फ्रूट फ्लाई), एनस्ट्रैफा स्ट्रीआटा (गवावा फ्रूट फ्लाई) व सेराटाइटिस केपीटाटा (मैडीटेरीनियन फ्रूट फ्लाई) के सम्मुख 0 डिग्री सें. या 13 दिन से कम; 0.55 डिग्री सें. या 14 दिन से कम; 1.11 सें. या 18 दिन से कम व इन - ट्रांजिट रेफ्रिजैरेशन के लिए लदान पूर्व शीत उपचार
		(ख) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्टेनोमा केटेनिफर (एवोकाडो मोठ) हेतु नाशीजीव मुक्त स्थिति अथवा एनएपी के अनुरूप 21 से. अथवा उससे अधिक अथवा उसके अनुरूप पर 3½ घंटे तक 32जी/क्यूबिक मीटर की दर पर मिथाइल धूमन
(iii) न्यूजीलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) लिनेपिथेमा हुमाइल	

	(एग्रेन्टाइन आन्ट) (ख) फाइटोफेथोरा क्राइप्टाजी (टोमेटो फुट रोट)	

(vi) क्र.सं. 770 के पश्चात् एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्या एवं प्रविष्टयां शामिल की जाएं, नामत:

क्र.सं.	पौध प्रजाति	पौध सामग्री की श्रेणी	उद्गम का देश	पौध स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल किए जाने के लिए अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशेष शर्त
1	2	3	4	5	6
'771'	पीसा मरियाना	वुड विदाउट बार्क	(i)कनाडा	निम्नलिखित से मुक्त: (क) क्राईसोम्यवसा पाइरोलेटा विन्ट (इनलैण्डस्प्रुस कोन रस्ट) (ख) साइडिया स्ट्रोबिलेला लिन (स्प्रुस सीड मोठ) (ग) ड्राइकोस्टस एफाबेर मनेरहेम (फारयेड स्प्रुरा ब्रेक बीटल) (घ) ड्रायोकोट्स आटोग्राफ्स रेटजेवर्ग (स्प्रुस बार्क बीटल) (ड) हाइलो बिसस कोनगेनर डाला टोरा (सीडलिंग डी बार्किंग विवल) (च) आईपीएसपरटुरवटुस आईचोफ(नार्दन स्प्रुस इन्गरावर) (छ) पालिग्राफस रुफिप्रेनिस किर्बी (स्प्रुस बार्क बीटल)	एनएपी के तहत 21सें. पर और उससे अधिक अथवा समकक्ष 24 घंटे तक 48जी प्रति क्यूबिक मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन अथवा 30 मिनट तक 56सें. (कोर तापमान) पर उष्ण उपचार अथवा पौध संरक्षक सलाहकार द्वारा अनुमोदित उपचार। उद्गम/पुन: निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र पर उपचार

					पृष्ठांकित होना चाहिए।
772	पिसा मरियाना	वुड विदाऊट बार्क	(i) कनाडा	निम्नलिखित से मुक्त होना चाहिए:- (क)एर्कैयोबियम पुसीलुम (इस्टर्न ड्वार्फ मिसटलेड) (ख)बुर्शाफेलेन्चस जाइलोफिलुस (पिने विल्ट नेमाटोड) (ग)डेन्ड्रोक्टोनस रूफीपेनिस (स्प्रुस बिटल) (घ)हेटेरोबासिडियेन एनोसम (ड)आईपीएस पिनि (पाइन एन्ग्रावर) (च)लाम्बडिना फिससेलारिया (इस्टर्न हेमलाक लूपर) (छ)मोनोचामुस मारमोरेटर (बालसमफिर सावयर) (ज)सिरोकोकस कोनिजेनस(ब्राउन स्प्रुस लोगंहार्न बिटल) (झ)टेट्रोपियम फुस्क्रुम (सिरोकोकस ब्लाइट ऑफ कोनिफेरस)	एनएपी के तहत 21सें. पर और उससे अधिक अथवा 24 घंटे तक 48जी प्रति क्यूबिक मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइक के साथ धूमन अथवा 30 मिनट तक 56सें. (कोर तापमान) पर उष्ण उपचार अथवा पौध संरक्षक सलाहकार द्वारा अनुमोदित उपचार। उद्यगम/पुन: निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र पर उपचार पृष्ठांकित होना चाहिए।

[फा.सं. 8-57/2011-पीपी. II]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: पौध संगरोध (भारत में आयात का नियमन), आदेश, 2003 का संख्या का.आ.1322 (अ.सा.), दिनांक 18 नवम्बर, 2003 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन हुआ था और तदुपरान्त संख्या का.आ. 167 (अ.सा.), दिनांक 6 फरवरी, 2004, का.आ. 427 (अ.सा.), दिनांक 29 मार्च, 2004, का.आ. 644 (अ.सा.), दिनांक 31 मई, 2004, का.आ. 263 (अ.सा.), दिनांक 25 फरवरी, 2005, का.आ. 462 (अ.सा.), दिनांक 31 मार्च, 2005, का.आ. 1121 (अ.सा.), दिनांक 14 जुलाई, 2006, का.आ. 1353 (अ.सा.), दिनांक 31 जुलाई, 2006, का.आ. 1873 (अ.सा.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2006, का.आ. 2074 (अ.सा.), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006, का.आ. 2069 (अ.सा.), दिनांक 3 दिसम्बर, 2007, का.आ. 3

(अ.सा.), दिनांक 31 दिसम्बर, 2007, का.आ. 2847 (अ.सा.), दिनांक 8 दिसम्बर, 2008, का.आ. 2888 (अ.सा.), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, का.आ. 2286 (अ.सा.), दिनांक 9 सितम्बर, 2009, का.आ. 2390 (अ.सा.), दिनांक 16 सितम्बर, 2009, का.आ. 3269 (अ.सा.), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009, का.आ. 3298 (अ.सा.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009, का.आ. 907 (अ.सा.), दिनांक 21 अप्रैल, 2010, का.आ. 2095 (अ.सा.), दिनांक 27 अगस्त, 2010, का.आ. 2711 (अ.सा.), दिनांक 4 नवम्बर, 2010, का.आ. 3052 (अ.सा.), दिनांक 28 दिसम्बर, 2010, का.आ. 887 (अ.सा.), दिनांक 28 अप्रैल, 2011, का.आ. 296 (अ.सा.), दिनांक 17 फरवरी, 2012, का.आ. 2275 (अ.सा.), दिनांक 23 दिसम्बर, 2012, और का.आ. 799 (अ.सा.) दिनांक 21 मार्च, 2013 के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2013

S.O. 1378 (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003,—

(i) Against serial no.150, relating to *Garcinia mangostana* (Mangosteen), in column (3) the existing entries shall be numbered as item (i) and (ii) thereof and against item (i) as so numbered the existing entry in column (4) shall be numbered as (i) thereof and after (i) so numbered and the entries relating thereto, in columns (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely :-

(4)	(5)	(6)
(ii)Sri Lanka	Nil	Nil

(ii) Against serial number 184, relating to *Juglans spp.* (Walnut), in column (3), the existing entry shall be re-numbered as item (i) thereof, and after item (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely :-

(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) Dry fruits for consumption (shelled and unshelled)	USA	Free from : (a) *Acrobasis nuxvorella* (pecan nut casebearer) (b) *Amyelois transitella* (navel orange worm) (c) *Curculio caryae* (pecan weevil) (d) *Cydia caryana* (hickory shuckworm) (e) *Brenneria rubrifaciens*	Fumigation with Methyl bromide @ 16g/cu. m for 24hrs at 21°C and above under NAP and the treatment shall be endorsed on the phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose

		(deep bark canker of walnut) (f) *Brenneria nigrifluens* (shallow bark canker)	

(iii) Against serial no.229, regarding *Naphelium lappaceum* (Rambutan), in column (3) the existing entries shall be numbered as item (i) and (ii) thereof and against item (i) as so numbered the existing entry in column (4) shall be numbered as (i) thereof and after (i) so numbered and the entries relating thereto, in columns (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely :-

(4)	(5)	(6)
(ii)Sri Lanka	Free from: (a) Pseudococcus Jackbeardsley (Jack Beardsley mealybug)	MBr fumigation @ 32 g/ cubic metre for 3 ½ hrs at 21^0C or above or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on phytosanitary certificate issued at the country of Origin/ re-export.

(iv) Against serial no. 418, regarding *Hylocereus Undatus* (Dragon Fruit), in column (3)against the entry (i) regarding fresh fruit for consumption, in column (4), after the item (ii) and the entries relating thereto in column (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely :-

(4)	(5)	(6)
(iii)Vietnam	Nil	Nil

(v) Against serial number 564 relating to "*Persea americana* (Avocado)" in column (3) against the entry (ii) regarding fresh fruit for consumption, in column (4), after the item (i) and the entries relating thereto in column (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely :—

(4)	(5)	(6)
(ii) Peru	Free from: *(a) Anastrepha serpentina* (sapodilla fruit fly) *(b) Stenoma catenifer*	a)Pest free status for *Anastrepha serpentina* (sapodilla fruit fly) as per international standards or

2397 GI/13-3

	(avocado moth) *(c) Avocado sunblotch viroid* (avocado sun blotch)	Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against *Anastrepha fraterculus* (South American fruit fly), *Anastrepha serpentina* (sapodilla fruit fly), *Anastrepha striata* (guava fruit fly) and *Ceratitis capitata* (Mediterranean fruit fly) (b) Pest free status for *Stenoma catenifer (avocado moth)* as per international standards or Methyl Bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 3 1/2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof.
(iii) New Zealand	Free from: (a)*Linepithema humile* (Argentine ant) (b) *Phytophthora cryptogea* (tomato foot rot)	--

(vi) After serial number 770 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

S.No.	Plant Species	Category of plant material	Country of Origin	Additional declarations required to be incorporated into phytosanitary certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"771	*Picea mariana*	Wood without Bark	(i) Canada	Free from: *(a)Chrysomyxa pirolata* Wint.(Inland spruce cone rust) *(b) Cydia strobilella* Linn(Spruce seed moth) *(c) Dryocoetes affaber* Mannerheim (Foureyed spruce brak beetle) *(d) Dryocoetes autographus*	Fumigation with Methyl bromide at 48g per cubic metre for 24 hrs at 21° C and above or equivalent thereof under NAP or heat treatment at 56°C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The

				Ratzeburg(Spruce Bark beetle) *(e) Hylobius congener* Dalla Torre(Seedling debarking weevil) *(f) Ips perturbatus* Eichhoff(Northern spruce engraver) *(g) Polygraphus rufipennis* Kirby(Spruce Bark beetle)	treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
772	*Picea rubens*	Wood without bark	(i) Canada	Free from: *(a)Arceuthobium pusillum(*Eastern dwarf mistletoe) *(b)Bursaphelenchus xylophilus(*Pine wilt nematode) *(c)Dendroctonus rufipennis(*Spruce beetle) *(d)Gremmeniella abietina(*Brunchorstia disease) *(e)Heterobasidion annosum* *(f)Ips pini(*Pine engraver) *(g)Lambdina fiscellaria(*Eastern hemlock looper) *(h) Monochamus marmorator(*Balsam fir sawyer) *(i)Sirococcus conigenus(*Brown spruce longhorn beetle) *(j)Tetropium fuscum(*Sirococcus blight of conifers)	Fumigation with Methyl bromide at 48g per cubic metre for 24 hrs at 21° C and above or equivalent thereof under NAP or heat treatment at 56°C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser .The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

[F.No.8-57/2011-PP.II]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 31st December, 2007, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. 296(E) dated 17th February, 2012, S.O.2275(E) dated 23rd November, 2012 and S.O. No. 799(E) dated 21st March, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.